fogxkoyksdu

इस प्रतिवेदन में शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित तीन अध्याय शामिल हैं। अध्याय 1 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र तथा वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय 2 में ″शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन′′ पर निष्पादन लेखापरीक्षा को शामिल किया गया है। अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रस्तरों को शामिल किया गया है। प्रतिवेदन में सम्मलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार–संक्षेप नीचे दिया गया हैः

v/;k; 1 dk;Z iz.kkyh] tokcnsgh r= vkSj foRrh; izfrosnu ij fogxkoyksdu

ys[kkijh{kk izcU/ku

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता लेखापरीक्षा सौंपने की व्यवस्था जारी रखी गयी थी। लेखापरीक्षा के सौंपने की व्यवस्था (2011) के अनुसार, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को राज्य विधान मण्डल को प्रतिवेदित करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने तथा इस पर चर्चा हेतु एक समिति का गठन किया जाना था।

यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा इसका अब तक अनुपालन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप, वर्ष 2004–05 से 2013–14 तक की अवधि के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वर्ष 2014–15 के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधानमण्डल के पटल पर मार्च 2017 तक नहीं रखा गया था। वर्ष 2015–16 की अवधि में, राज्य के 636 में से 116 शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमः 7, नगर पालिका परिषद 40 तथा नगर पंचायत 69) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी थी।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के उपबंधों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं तथा प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने हेतु लेखाओं पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाना था। यद्यपि, यह प्रतिवेदन विधानमण्डल में वर्ष 2010–11 तक ही रखे गये थे तथा राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अनुपालन समिति में इनकी चर्चा की गयी थी। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015–16 की अवधि में राज्य के 636 में से 570 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी थी

¼iLrj 1-5-1, 1-5-2 ,oa 1-6½

'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dks dk;ksZa ,oa fuf/k;ksa dk gLrkarj.k

संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा प्रदत्त 18 में से 13 कार्यों का हस्तांतरण किया गया जिसके कारण शहरी स्थानीय निकायों की गतिविधियाँ सीमित होती हैं तथा संविधान में उल्लिखित शहरी क्षेत्रों के गरीबी उन्मूलन, आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक उत्थान में उनकी सक्रिय सहभागिता प्रभावित होती है।

वर्ष 2011–16 की अवधि में, शहरी स्थानीय निकायों की राज्य में कुल प्राप्तियाँ ₹ 36,321.31 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त अनुदान तथा निजी राजस्व सम्मिलित हैं। निजी राजस्व एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, जबकि राज्य वित्त आयोग के अनुदान में वर्ष 2013–15 की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा, शहरी स्थानीय निकायों को धनराशियाँ तीन दिनों के विलम्ब के साथ अवमुक्त की गई थी, परिणामस्वरूप, इसे ब्याज के भुगतान पर ₹ 33.35 लाख का परिहार्य व्यय वहन करना पडा।

शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था, जो शासकीय अनुदान पर उनकी अधिक निर्भरता को प्रदर्शित करता है।

¼iLrj 1-3, 1-11-1-1] 1-11-3-1 ,o 1-11-5½

miHkkx iek.k&i=

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त अनुदान के आधार पर ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं शहरी स्थानीय निकायों से अवमुक्त धनराशियों के उपभोग के सम्बंध में कोई प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

¼iLrj 1-10½

लेखापरीक्षा निश्कर्शों का अनुपालन

बड़ी संख्या में पिछले वर्षों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजी गयी, जिसके कारण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

¼iLrj 1-6½

v/;k; 2% 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa }kjk Þuxjh; Bksl vif'kष्ट प्रबंधन” ij निश्पादन ys[kkijh{kk

नगरीय ठोस अपशिष्ट में खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के अतिरिक्त, परिष्कृत जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अथवा अर्ध ठोस रूप में उत्पन्न आवासीय एवं व्यावसायिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन को विनियमित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन नियमावली 2000 बनायी गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राधिकरण नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी है।

दस जनपदों की 36 शहरी स्थानीय निकायों की वर्ष 2011–2016 की आच्छादित अवधि के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

राज्य की 636 में 604 शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधायें स्वीकृति नहीं थी। कुल शहरी स्थानीय निकायों के मात्र 1.4 प्रतिशत में ही यह सुविधायें क्रियाशील थी। नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र सात के लिए ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधायें स्वीकृत की गयी थी।

¼iLrj 2-6-2½

राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत लागत (₹505.30 करोड़) का 35 प्रतिशत (₹177.91 करोड़) अप्रयुक्त पड़ा हुआ था क्योकि 19 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थापना का कार्य विभिन्न कारणों से रूका हुआ था।

¼iLrj 2-7-1½

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 37.56 करोड एवं राज्य द्वारा ₹ 30.39 करोड़ की धनराशि उपयोग नहीं की गयी थी और राज्य स्तर पर अवरूद्ध थी।

¼iLrj 2-7-3½

नगर पालिका परिषद सम्भल और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में कार्यदायी संस्था को क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ और ₹ 6.46 करोड़ के भुगतान के पश्चात् भी प्रसंस्करण संयंत्र आरम्भ नहीं हुआ था।

¼iLrj 2-8-5-2½

नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर में परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पूर्व कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में अनियमित भुगतान क्रमशः ₹ 18.10 करोड़ और ₹ 19.87 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था।

¼iLrj 2-8-6-1½

नगर निगम लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण परियोजना के स्थल के अनुपयुक्त चयन के फलस्वरूप समय एवं लागत में धनराशि ₹ 9.91 करोड़ की वृद्धि हुयी।

¼iLrj 2-7-5½

परियोजनाओं में उपयोग के उद्देश्य से उपकरण एवं वाहनों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

¼iLrj 2-8-6-3½

v/;k; 3 vuqikyu ys[kkijh{kk

ÞE;qfufli y ckWaM }kjk jktLo laxzg lfgr futh fuf/k;ksa ds izcU/ku ij 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa** dh ys[kk ijh{kk

कर एवं करत्तेर राजस्व का संग्रह निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नही था एवं निजी निधियों का संग्रहण प्रभावी एंव कुशल नही था। कई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उप–विधियों का अनुमोदन नहीं किया गया था।

¼iLrj 3-1-4-1 ,o 3-1-4-2½

समुचित आकलन, संग्रहण एवं वसूली के माध्यम से निजी निधियों के लिए राजस्व सृजन का तंत्र कमजोर पाया गया जिससे नमूना जाँच किये गये शहरी निकायों में मार्च 2016 के अंत तक ₹109.81 करोड़ की वसूली बकाया थी।

¼iLrj 3-1-4-4½

ys[kkijh{kk iLrj

रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन, वाराणसी में बिना व्यवहार्यता सुनिश्चित किए शुष्क सम्प पम्प की स्थापना और इसके अक्रियाशील हो जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.02 करोड़ का अनुपयोगी व्यय।

¼iLrj 3-2½

तकनीकी व्यवहार्यता का विश्लेषण किए बिना नगर निगम इलाहाबाद द्वारा लीक डिटेक्शन सिस्टम के क्रय तथा इसके संचालन हेतु प्रशिक्षण पर ₹ 1.30 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

¼iLrj 3-4½

वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति का उल्लंघन करके नगर निगम आगरा और नगर निगम लखनऊ ने बी.एस.–IV माडल वाहनों की जगह बी.एस.–III माडल वाहनों का ₹ 6.85 करोड़ का क्रय किया, जिस कारण वायु प्रदूषण के पर्यावरण मानकों का क्रियान्वयन विफल रहा।

¼iLrj 3-5½

निजी अस्पताल/नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क का निर्धारण न करने के कारण नगर निगम, वाराणसी को ₹41.50 लाख की राजस्व हानि।

¼iLrj
3-7½